उत्तराखण्ड शासन

कृषि एवं विपणन अनुभाग–2

संख्या : 101 /XIII-II/51(5)/2005

देहरादूनः दिनांकः 22 जून, 2009

कार्यालय ज्ञाप

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय भूमि संसाधन विभाग, नई दिल्ली के जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं के सम्बन्ध में जारी समान मार्गदर्शी सिद्धान्त, 2008 के अनुसार उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1216/XIII-II/51(5)/2005, दिनांक 19 दिसम्बर, 2008 द्वारा जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला जलागम विकास इकाइयों (DWDU) के गठन तथा उसके कार्यों के सम्बन्ध में जारी निर्देशों के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय सम्बन्धित जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला जलागम विकास इकाइयों के परियोजना प्रबन्धक/सदस्य सचिव के दायित्वों का भी निर्वहन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त कार्य के लिये इन्हें कोई अतिरिक्त वेतन भत्ते देय नहीं होंगे।

(नृप सिंह नपलच्याल)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 101(1) /XIII-II/51(5)/2005, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव (वन ग्राम्य विकास, कृषि, लघु सिंचाई एवं जलागम प्रबन्ध परियोजना से सम्बन्धित विभाग), उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त जिला पंचायत अध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी/कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
5. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. विभागाध्यक्ष (वन, कृषि, ग्राम विकास, पंचायतीराज, लघु सिंचाई), उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फ़ाईल।

आज्ञा से,

(एम0एच0 खान)
सचिव।